

## विक्रय अनुबंध-पत्र

विक्रेता/प्रथम पक्षकार	::	श्रीमती मलिका पत्नी श्री रियाज मोहम्मद, आयु - वयस्क निवासी- अहाता कल्लषाह अहाता, 36/3, जोगिपुरा बरखेडी, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र आधार न. 4930 4489 0291
क्रेता/द्वितीय पक्षकार	::	श्रीमती रानी श्रीवास C/o श्री मनोज कुमार श्रीवास, आयु - वयस्क निवासी- 32, नगर निगम कॉलोनी, छोला, जिला भोपाल म.प्र आधार न. 8468 5506 0410
विक्रय मूल्य	::	रुपये 7,50,000/—(सात लाख पचास हजार रुपये मात्र ) में सौदा तय किया गया है।
बयाना राशि	::	रुपये 50,000/—(पचास हजार रुपये मात्र ) मात्र क्रेता द्वारा नगद अदा किये गये है।
शेष राशि	::	रुपये 7,00,000/— जो की क्रेता द्वारा विक्रेता को बैंक से ऋण प्राप्त करके विक्रेता को अदा कर उक्त भूखंड की रजिस्ट्री करा ली जाएगी।

### विक्रय की जा रही संपत्ति/भूखंड का विवरण ::

यह कि विक्रेता के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का दो किता आवासीय भूखंड क्रमांक 36 जिसका कुल साइज़ 20 गुणा 35 बराबर 700 वर्गफिट अर्थात 65.05 वर्गमीटर है जिसे विक्रय किया जा रहा है जो खसरा क्रमांक 68/1 का अंश भाग होकर ग्राम पुरामनभावन प.ह.न. 14/26, तहसील हुजूर जिला भोपाल में नगर निगम सीमा के बाहर मुख्य मार्ग से अंदर स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्नानुसार हैं ।

दिशा पूर्व में	—	रास्ता
दिशा पश्चिम में	—	भूखंड क्रमांक 25
दिशा उत्तर में	—	भूखंड क्रमांक 37
दिशा दक्षिण में	—	भूखंड क्रमांक 35

निरंतर....2

यह कि प्रथम पक्षकार उक्त वर्णित सम्पत्ति का स्वयं मालिक व स्वामी है जिसे वह द्वितीय पक्षकार के पक्ष में विक्रय कर रहा है । जिसे क्रय करने हेतु द्वितीय पक्षकार ने सहमति प्रकट की है, तथा इसके लिये दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित शर्तों तथ्यों के आधार पर यह अनुबंध पत्र तय हुआ है:-

**अन्य विवरण :-**

**यह कि उपरोक्त भूखंड जो विक्रेता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है जिसको विक्रय करने के संपूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है।**

1. यह कि, विक्रेता द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अनुबंधित सम्पत्ति का आज दिनांक तक कहीं रहन, बंधक, हस्तांतरण, हिबा इत्यादि नहीं है, जो कि हर प्रकार के कर सरकारी एवं गैर सरकारी, स्त्रीधन से पूर्णतः पाक व साफ होकर भारमुक्त है, जिसे विक्रय, अनुबंधित करने के समस्त वैधानिक अधिकार विक्रेता को प्राप्त है ।
2. यह कि उपरोक्त विक्रय संपत्ति प्रथम पक्षकार ने अपने समस्त वारिसानों की सहमति से विक्रय की है । भविष्य में उपरोक्त विक्रय संपत्ति पर प्रथम पक्षकार के वारिसानों का हक व अधिकार नहीं रहेगा । ,
3. यह कि उपरोक्तानुसार अनुबंधपत्र जो कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निष्पादित किया जा रहा है उसमे दोनों पक्षों के वारिसान, उत्तराधिकारी, संतानों एवं परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं है एवं इसकी शर्तें दोनों पक्षकारों एवं उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, संतानों पर भी बंधनकारी होगी ।
4. यह कि उक्त संपत्ति के पंजीयन में यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी संपूर्ण जबाबदारी विक्रेता की होगी ।
5. यह कि उक्त संपत्ति यदि शासकीय विभाग में अधिग्रहण की दृष्टि में आती है तो उसकी समस्त जबाबदारी प्रथम पक्षकार की होगी ।
6. यह कि उपरोक्तानुसार जो अनुबंध आज दिनांक को दोनों पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है इसकी तमाम शर्तें दोनों पक्षकारों पर तथा उनके वारिसानों, उत्तराधिकारियों, दायभागियों, संतानों, हितेषियों एवं मुख्तार आदि पर भी बंधनकारी एवं लागू रहेगी ।

अतः यह विक्रय अनुबंधपत्र उभय पक्षकारगण के मध्य पूर्ण होश हवास में, बिना किसी डर दबाव अथवा लालच के निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष पढ़, सुन समझकर, अपने-अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे । इति दिनांक 17/01/2026 स्थान भोपाल म.प्र.।

स्थान भोपाल म.प्र.।

**साक्षी-01**

नाम-.....

**हस्ताक्षर विक्रेता**

**साक्षी-02**

नाम-.....

**हस्ताक्षर क्रेता .**